नैक (NAAC) द्वारा "A" ग्रेड प्राप्त

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya, Wardha

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

जनसंपर्क विभाग- Ph./Fax: 07152-252651 मो.9960562305 इ-मेल: mgahvpro@gmail.com

वेबसाइट : www.hindivishwa.org

हिंदी विश्वविद्यालय में मानवाधिकार पर कार्यशाला शनिवार को

स्त्री अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संयुक्त उपक्रम

वर्धा दि. 30 सितंबर 2015: महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का स्त्री अध्ययन विभाग एवं मानवाधिकार आयोग के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार दि. 3 अक्तूबर को एक दिवसीय मानवाधिकार प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा निरंतर संस्था, नई दिल्ली के तत्वावधान में दि. 4 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक जेण्डर एवं शिक्षा विषय पर सात दिवसीय कोर्स का आयोजन कर रहा है। मानवाधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन 3 अक्तूबर को सुबह 11.00 बजे हबीब तनवीर सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रो. गिरीश्वर मिश्र करेंगे।

3 अक्तूबर को आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई की प्रो. इलीना सेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में इंडियन लॉ इंस्टीटयूट, नई दिल्ली के डॉ. अनुराग दीप तथा मार्गदर्शक के रूप में प्रतिकुलपति प्रो. चित्तरंजन मिश्र, कुलसचिव डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्र, स्त्री अध्ययन विभाग के प्रो. शंभु गुप्त, डॉ. अवंतिका शुक्ला उपस्थित रहेंगी। कार्यशाला में मानवाधिकार, संवैधानिक प्रावधान एवं सार्वभौमिक उदघोषणा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 तथा राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार की उत्पत्ति एवं कार्य, महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन 1979 एवं इसके वैकल्पिक मूल पत्र तथा मानवाधिकार एवं बंधुआ मजदूरी तथा भारत में बाल मजदूरी आदि विषयों पर विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम में स्वागत वक्तव्य स्त्री अध्ययन विभाग की प्रभारी अध्यक्ष डॉ. सुप्रिया पाठक देंगी।